न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–138/2021

संजय प्रसाद.....वादी

बनाम

महमूद आलम.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
04.11.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 15.07.2023 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 15.07.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी दिनांक 09.01.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुये तथा वादग्रस्त भूमि का कागजात उपलब्ध नही रहने के कारण प्रतिवादी का उत्तर पत्र न्यायालय में दाखिल नही किया जा सका तथा बयान तहरीरी दाखिल न करने के कारण दिनांक 02.05.2023 को प्रतिवादी को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष करने को तैयार है। प्रतिवादी के पास संघर्ष करने के लिए पर्याप्त जुबानी एवं कागजी साक्ष्य उपलब्ध है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 02.05.2023 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी का बयान तहरीरी स्वीकार कर इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अगर प्रतिवादी को इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति नही दी जायेगी तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी दिनांक 09.01.2023 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 02.05.2023 को प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीरी समय से दाखिल न करने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–138/2021

संजय प्रसाद.....वादी

बनाम

महमूद आलम.....प्रतिवादी

लगातार 04.11.2023	वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी काफी समय के बाद दिनांक 15.07.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल की है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 02.05.2023 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 12.12.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	